

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांक:-2103 सीएसी/2009-848 सीएसी/2000-III

दिनांक 10 दिसम्बर.2012

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त)
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो)
समस्त सम्परीक्षा अधिकारी
समस्त सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी
उ०प्र० परिवहन निगम,


विषय :-यात्री दुर्घटना निधि एवं आई.टी-निधि की दरों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया परिपत्र सं० 530सीएसी /2000-848सीएसी/2000दिनांक 14,मार्च, 2000 एवं परिपत्र सं० 75प्लासेल/010-14/02 दिनांक 04 नवम्बर,2010 का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त परिपत्रों द्वारा निर्धारित क्रमशः यात्री दुर्घटना अधिभार एवं आई.टी.अधिभार की दरों को निदेशक मण्डल द्वारा अपनी 191वीं बैठक दिनांक 03.12.12 के मद्द सं० 14 में निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुपालन में दोनों अधिभार की दरों की वर्तमान एवं प्रस्तावित दरों के साथ विभिन्न अधिभारों की स्थिति निम्नवत् हो जायेगी।


किमी०	यात्री दुर्घटना अधिभार		यात्री सुविधा अधिभार		आई.टी.		योग	
	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान
0-40	0.50	0.50	1.50	1.50	0.00	0.00	2.00	2.00
41-85	0.50	1.00	1.50	1.50	1.00	1.50	3.00	4.00
86-100	1.00	1.50	2.00	2.00	1.00	1.50	4.00	5.00
101-200	2.00	2.50	3.00	3.00	1.00	1.50	6.00	7.00
201 से अधिक	3.00	3.50	4.00	4.00	1.00	1.50	8.00	9.00

उपरोक्त दरें तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी। कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


(आलोक कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक-समसंख्यक एवं समदिनांकित

- प्रतिलिपि-
1. मुख्य प्रधान प्रबंधक (संचा०) उ०प्र०परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
 2. विधि परामर्शदाता, उ०प्र०परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
 3. समस्त प्रधान प्रबंधक, उ०प्र०परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।


(आलोक कुमार)
प्रबन्ध निदेशक